[2022] 18 एस. सी. आर 1053

ए.

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम.

दीवान चंद आनंद और ओआरएस। (2022 की सिविल अपील संख्या 2397-2398) 11 जुलाई, 2022

बी.

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:आदेश 22-अपील का उपशमन-उपशमन की प्रकृति और सीमा-कई उत्तरदाताओं के मामले में प्रत्येक उत्तरदाता के खिलाफ अपील के उपशमन का प्रभाव-दो सह-मालिकों-वादियों और बाकी सह-मालिकों द्वारा दायर मुकदमा, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा और अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए उचित पक्षकारों के रूप में प्रतिवादी के रूप में शामिल हुआ-निचली न्यायालय ने यह कहते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि अधिसूचनाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है, और प्रतिवादियों को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित भूमि से वादी और अन्य सह-मालिकों को बेदखल करने से रोक दिया गया था-अपीलकर्ता-डी. डी. ए. द्वारा अपील-कुछ उत्तरदाताओं ने अपील को खारिज कर दिया क्योंकि उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई थी-उच्च न्यायालय द्वारा अपील को विफल होने के लिए समाप्त कर दिया गया था।समग्र रूप से अपील को केवल कुछ सह-शेयरों/सह-मालिकों-प्रत्यर्थियों के कानूनी प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने में विफलता के लिए कम नहीं माना जा सकता है, जिनकी अपील के अपास्त करना के दौरान मृत्यु हो गई थी-तथ्यों पर, पूरी संपत्ति का प्रतिनिधित्व मूल वादियों के माध्यम से किया गया था जिसमें सह-भागीदारों/सह-मालिकों को भी उचित पक्षों के रूप में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था-यह विचार करते हुए कि क्या वादी/प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को न लाने के कारण मुकदमा/अपील कम हो गई है या नहीं, न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या मुकदमा करने का अधिकार जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ जीवित है-इसके बाद, अपीलीय न्यायालय को इस सवाल पर विचार करना होगा कि क्या कुछ प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को न लाने पर, अपील जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ आगे बढ़ सकती थी-पारित करते समय -

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1053

1054 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 18 एस. सी. आर.

ए.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** किसी मामले में छूट की प्रकृति और सीमा और उस पर लिया जाने वाला निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और इसलिए, किसी भी तरह से कोई विस्तृत बयान नहीं दिया जा सकता है और निर्णय अंततः इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि प्राप्त डिक्री एक संयुक्त डिक्री थी या एक अलग।इस प्रश्न का परीक्षण केवल चुनौती के तहत डिक्री के प्रारूप या यह एक या उस तरीके से नहीं किया जा सकता है जिसमें इसे पारित करने वाले न्यायालय से पहले या उसके द्वारा निपटा गया था।**[**पैरा **9.1] [1078-**बी**-**सी**]**

बी.

1.2 जैसा कि इस न्यायालय द्वारा यह विचार करते हुए और अभिनिर्धारित किया गया है कि क्या वादी/प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं लाने के कारण मुकदमा/अपील समाप्त हो गई है या नहीं, न्यायालय को यह जांच करनी होगी कि क्या मुकदमा करने का अधिकार जीवित प्रतिवादियों के खिलाफ जीवित है।इसके बाद अपीलीय न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या कुछ प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं लाने पर, अपील जीवित प्रतिवादियों के खिलाफ आगे बढ़ सकती थी।इसलिए, अपीलीय न्यायालय को कई उत्तरदाताओं के मामले में प्रत्येक उत्तरदाता के खिलाफ अपील के उपशमन के प्रभाव पर विचार करना होगा।एक वादी या प्रतिवादी की मृत्यु मुकदमे को समाप्त नहीं करेगी यदि मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है; कि यदि एक से अधिक वादी या प्रतिवादी हैं, और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, और जहां मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित वादी या वादी या केवल जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ रहता है, तो न्यायालय उस प्रभाव की प्रविष्टि रिकॉर्ड में कराएगा, और मुकदमा जीवित वादी या वादी के कहने पर, या जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ आगे बढ़ेगा **(**आदेश **22** नियम **2)** कि यदि दो या दो से अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार अकेले जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ नहीं रहता है, या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र जीवित प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार होगा।जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर आदेश **22** नियम **4** के उप-नियम **1** के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, वहां मृतक प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो जाएगा और आदेश **22** का प्रावधान अपील की कार्यवाही पर भी लागू होगा।**[**पैरा **9.1] [1078-**सी**-**जी**]** ए

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1055

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस।

1.3 यह विचार करते हुए कि क्या वादी/प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को न लाने के कारण मुकदमा/अपील समाप्त हो गई है या नहीं, न्यायालय को यह जांचना होगा कि जीवित प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार जीवित है या नहीं।इसके बाद अपीलीय न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या कुछ प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं लाने पर, अपील जीवित प्रतिवादियों के खिलाफ आगे बढ़ सकती थी।इसलिए, अपीलीय न्यायालय को कई उत्तरदाताओं के मामले में प्रत्येक उत्तरदाता के खिलाफ अपील के उपशमन के प्रभाव पर विचार करना होगा।**[**पैरा **9.2] [1078-**एच**; 1079-**ए-बी**]**

बी.

1.4 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक आई**.** डी**. 1** के आदेश पर निर्धारित कानून को लागू करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने यंत्रवत रूप से और कोई और जांच किए बिना, जिसे संचालित करने की आवश्यकता थी, पूरी अपील को केवल यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि कुछ उत्तरदाताओं के कानूनी प्रतिनिधियों**-**मूल प्रतिवादियों, जिन्होंने न तो मुकदमे का विरोध किया और न ही लिखित बयान दायर किए, को रिकॉर्ड पर नहीं लाने के कारण समाप्त हो गया है।यह देखा गया है कि इस प्रकार मूल वादी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जाने वाली पूरी भूमि के सभी सह**-**मालिकों/सह**-**शेयरधारकों के लिए और उनकी ओर से मुकदमा दायर किया। **[**पैरा **9.3] [1079-**सी**-**डी**]**

सी.

डी.

ई.

1.5 तत्काल मामले में**,** जब मूल वादी**-**दो सह**-**मालिकों ने वादी के साथ**-**साथ प्रतिवादियों के संयुक्त स्वामित्व वाली पूरी वाद भूमि के संबंध में मुकदमा दायर किया। **9** से **39** तक और जब अपील में कुछ प्रतिवादियों/प्रतिवादियों की मृत्यु हो जाती है**,** तो यह कहा जा सकता है कि संपत्ति का प्रतिनिधित्व अन्य लोगों द्वारा किया जाता है**-**विशेष रूप से वादी के वादी/उत्तराधिकारी और यह नहीं कहा जा सकता है कि अपील में कुछ सह**-**भागीदारों**-**प्रतिवादियों**-**प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं लाने पर अपील समग्र रूप से समाप्त हो जाएगी।दिनांक **1** का विवादित आदेश पारित करते समय**,** उच्च न्यायालय ने न तो सी**.** पी**.** सी**.** के आदेश **22** नियम **1** से **11** तक के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया है और न ही ऐसी कोई जांच की है जिसे संचालित करने की आवश्यकता थी।**[**पैरा **9.4,9.5] [1079-**जी**-**एच**; 1080-**ए**]**

एफ.

जी.

1.6 यह मुकदमा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए दायर किया गया था**,** वह भी इस संबंध में।

एच.

ए.

विचाराधीन भूमि पर।यह अपीलार्थी की ओर से विशिष्ट मामला था और यहां तक कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने वाले मुकदमे पर विचार करने के लिए दीवानी न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में विचारण न्यायालय द्वारा इस मुद्दे को तैयार विद्वान गया था। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों से**,** यह प्रतीत होता है कि यद्यपि विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में अधिकारिता के मुद्दे को अभिनिर्धारित विद्वान **,** फिर भी उसके बाद उसने राहत प्रदान की और उस वाद का फैसला सुनाया जो उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था।इस प्रकार**,** अपीलार्थी डी**.** डी**.** ए**.** के अनुसार**-**विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री एक शून्य और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थी।यदि ऐसा है**,** तो एक अन्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है**,** वह यह है कि जब मूल वादी/कानूनी उत्तराधिकारी रिकॉर्ड में हैं**,** तो क्या यह कहा जा सकता है कि पूरी अपील समाप्त हो गई है**,** यदि अपील में यह माना जाता है कि डिक्री एक शून्य और/या पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थी**,** तो डिक्री सभी उद्देश्यों के लिए शून्य होगी।उक्त पहलू को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है।**[**पैरा **9.6] [1080-**बी**-**ई**]**

बी.

सी.

डी.

1.7 किसी भी मामले में अपील के लंबित रहने के दौरान मरने वाले कुछ उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं लाने के क्या परिणाम होते और क्या मूल वादी और/या जीवित उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार बरकरार रहता है, इस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना था, जिस पर उच्च न्यायालय तत्काल मामले में विचार करने में विफल रहा।**[**पैरा **9.7] [1080-**ई**-**एफ**]**

ई.

1.8 अपील के लंबित रहने के दौरान मरने वाले कुछ प्रतिवादियों/मूल प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं लाने के लिए अपील को समग्र रूप से अपास्त करनाते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को निरस्त कर दिया जाता है।उच्च न्यायालय को अब कानून के अनुसार और अपने स्वयं के गुण-दोषों के आधार पर और की गई टिप्पणियों के आलोक में, विशेष रूप से, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा और जांच करनी होगी कि क्या अपील में कुछ उत्तरदाताओं **(**वाद में प्रतिवादियों**)** की मृत्यु पर शेष उत्तरदाताओं**-**मूल वादियों/शेष मूल प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार बना रहेगा या इस तथ्य को शामिल नहीं करना होगा कि संपत्ति का प्रतिनिधित्व जीवित मूल वादियों/मूल वादियों के उत्तराधिकारियों/जीवित प्रतिवादियों द्वारा किया जा रहा है जो होने वाली जांच पर असर डाल रहे हैं।**[**पैरा **10] [1080-**जी**-**एच**; 1081-**ए**]** ए

एफ.

जी.

एच.

1057

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस।

माता प्रसाद माथुर बनाम जवाला प्रसाद माथुर **(2013)**

14 एस. सी. सी. 722; [2013] 1 एस. सी. आर. 1106; कन्हैया लाल बनाम।

रामेश्वर (1983) 2 एस. सी. सी. 260; सदर अमरजीत सिंह

कालरा बनाम प्रमोद गुप्ता (2003) 3 एस. सी. सी. 272, [2002] 5

पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 350;** बिहार राज्य बनाम धरेंद्र कुमार

(1995) 4 एससीसी 229:[1995] 3 एससीआर 857; ईशा

बी.

भट्टाचार्जी बनाम। रघुनाथपुर की प्रबंध समिति

नफ़र अकादमी और अन्य (2013) 12 एस. सी. सी. 649:[2013]

9 एस**.** सी**.** आर**. 782;** हेमरेड्डी बनाम रामचंद्र **(2019) 6** एस**.** सी**.** सी**. 756: [2019] 7** एस**.** सी**.** आर**. 262;** सुनकारा लेकहिमिनारसामा

बनाम सागी (2019) 11 एससीसी 787:[2018] 14 एस. सी. आर. 222-संदर्भित

सी.

पंजाब राज्य बनाम नाथूराम एयर **1962** एससी **89:[1962]** एससीआर **636;** ए**.** विश्वनाथपिल्लियाई और अन्य बनाम। भूमि अधिग्रहण संख्या **4** और अन्य के लिए विशेष तहसीलदार

(1991) 4 एससीसी 17:[1991] 3 एस. सी. आर. 465; वेनिगल्ला

कोटेश्वरमन बनाम मालेम्पति सूर्यम्बा **(2021) 4** एससीसी

डी.

246 :2021 (2) स्केल **170-**विश्वसनीय।संदर्भित निर्णय

[2013] 1 एससीआर **1106**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.3**

[2002] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 350** पैरा **4.4 [1995] 3** एस**.** सी**.** आर**. 857** पैरा **4.7 [2013] 9** एस**.** सी**.** आर**. 782** पैरा **4.8 [2019] 7** एस**.** सी**.** आर**. 262** पैरा **6 [2018] 14** एस**.** सी**.** आर**. 222** पैरा **6 [1962]** एस**.** सी**.** आर**. 636**

ई.

एफ.

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **6**

[1991] 3 एससीआर **465**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **4.3**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील No.2397।

2001 के आर. एफ. ए. No.280 में 2008 की समीक्षा याचिका No.314 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 13.01.2012 के निर्णय और आदेश से।

जी.

के साथ

2022 की सिविल अपील No.2398।

एच.

ए.

संजय पोद्दार, सीनियर अधिवक्तागण , विष्णु बी. सहारिया, विवेक बी. सहारिया, विरेश बी. सहारिया, मेसर्स सहारिया एंड कंपनी के लिए अक्षत अग्रवाल, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

श्याम दीवान, सुशील दत्त सलवान, सुनील गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्तागण , प्रमोद दयाल, सुदिप्तो सरकार, सुशील दत्त सलवान, निकुंज दयाल, सुश्री पूजा शर्मा, करुणाकर महालिक, मोनरंजन मिश्रा, गौरंगा बिस्वाल, सुश्री मीरा माथुर, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

बी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2001 के आर. एफ. ए. No.280 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 09.07.2007 के विवादित आदेश और 2008 के आर. पी. No.314 में उच्च न्यायालय द्वारा उसी 2001 के आर. एफ. ए. No.280 में पारित बाद के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, उच्च न्यायालय के समक्ष मूल अपीलार्थी -दिल्ली विकास प्राधिकरण (संक्षेप में 'डी. डी. ए.') ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

सी.

डी.

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं -

इसके अंतर्गतः

दो वादी, श्री दीवान चंद आनंद और श्रीमती। मुकदमे की संपत्ति के सह-मालिक होने का दावा करने वाले चानन कांता आनंद ने घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए सिविल कोर्ट/विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष मुकदमा दायर किया।यह मुकदमा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देते हुए दायर किया गया था।वादी प्रतिवादी एन. ओ. एस. में। 8 से 39 को मुकदमे के उचित पक्षकारों के रूप में सह-शेयर होने का आरोप लगाते हुए आरोपित किया गया था।मूल वादी सं। 2, श्रीमती. चानन कांता आनंद, मूल प्रतिवादी नं.8 – श्री धरम चंद आनंद।पति और पत्नी की मृत्यु पर (मूल वादी सं। 2 और प्रतिवादी सं।8) उनके बच्चों को वादी एन. ओ. एस. के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। 2 (i) से 2 (x) और प्रतिवादी एन. ओ. एस. 8 (i) से 8 (x)। मुकदमा मूल प्रतिवादी एन. ओ. एस. द्वारा लड़ा गया था। अपीलार्थी डी. डी. ए. सहित 1 से 5 और 7 तक। उन्होंने वादी के दावे का विरोध करते हुए लिखित बयान दायर किया।मुकदमे का विरोध इस आधार पर किया गया था कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देने के संबंध में दीवानी न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। अन्य प्रतिवादी एनओएस। 8 से 39 तक ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया और उन्हें 22.03.1983 और 06.10.1983 के आदेश के अनुसार एकतरफा रूप से आगे बढ़ाया गया।2.1 विद्वत विचारण न्यायालय ने शुरू में चार मुद्दों को निम्नानुसार तैयार विद्वान ः

ई.

एफ.

जी.

एच.

1059

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

“क्या विवादित भूमि के संबंध में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत दिनांकित अधिसूचना सार्वजनिक उद्देश्य के अस्तित्व के बारे में उपयुक्त प्राधिकारी के असंतोष के कारण अवैध है?ओपीपी

2. क्या प्रतिवादी अधिग्रहण की कार्यवाही से पीछे हट गए?ओपीपी

बी.

3. शिकायत के अनुलग्नक डी और जी के रूप में दायर किए गए दिनांकित 10.01.1967 और फरवरी, 1968 के पत्र का क्या प्रभाव है?ओपीपी। 4.राहत "

2.2 कि इसके बाद एक अतिरिक्त प्रारंभिक मुद्दा 12.12.1995 पर निम्नानुसार तैयार किया गया थाः

सी.

“क्या सिविल न्यायालय के पास भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचना की वैधता में जाने का अधिकार क्षेत्र है?”

डी.

2.3 12.01.2000 दिनांकित निर्णय और डिक्री द्वारा, विद्वत विचारण न्यायालय ने मुकदमे का फैसला विद्वान या।अपीलार्थी -डी. डी. ए. की ओर से यह मामला है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष देने के बावजूद कि सिविल न्यायालय को अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की वैधता और वैधता के सवाल पर जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसने वाद का फैसला विद्वान या और कहा कि विचाराधीन अधिसूचनाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया है, हालांकि अधिनियम की धारा 48 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की गई थी।प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों को अधिग्रहण के लिए अधिसूचित वादी और अन्य सह-मालिकों की भूमि को बेदखल करने से रोक दिया गया था।

ई.

2.4 विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, डी. डी. ए. ने 2001 के आर. एफ. ए. No.280 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी।मूल वादी सं।1 प्रत्यर्थी No.38 के रूप में प्रस्तुत किया गया था जबकि वादी सं.2 और प्रतिवादी नं।8 प्रत्यर्थी संख्या के रूप में क्रमबद्ध किए गए थे।39 (2 –10), और अन्य प्रतिवादियों 9-39 को प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अपील में 7-37।याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया।मूल वादी/प्रतिवादी एन. ओ. एस. 38 और 39 का प्रतिनिधित्व वकील ने किया।कि कुछ उत्तरदाता (मूल प्रत्यर्थी) प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. से बाहर हैं। 7 से 37 (मूल प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. में से। 9 से 39) को सेवा नहीं दी गई क्योंकि उनमें से कुछ की मृत्यु हो गई थी।दिनांक 09.07.2007 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने पूरी अपील को खारिज कर दिया क्योंकि उसने निम्नानुसार टिप्पणी कीः

एफ.

जी.

एच.

"अपील के लंबित रहने के दौरान कई उत्तरदाताओं की मृत्यु हो गई है लेकिन अपीलार्थी द्वारा अपने कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।

तदनुसार यह अपील समाप्त हो जाती है।"

2.5 कि अपीलार्थी -डी. डी. ए. ने 2008 की समीक्षा याचिका No.314 दायर की जिसमें अपील को खारिज करते हुए दिनांकित 09.07.2007 के आदेश की समीक्षा की मांग की गई। उच्च न्यायालय ने 03.09.2008 पर नोटिस जारी किया जो दिनांकित 13.01.2012 के विवादित आदेश में निर्णय तक अनुपलब्ध रहा।इस बीच, मूल वादी नं।1 श्री दीवान चंद आनंद के बारे में बताया गया था कि उनकी मृत्यु 16.11.2010 पर हो गई थी और उनके कानूनी प्रतिनिधियों के बारे में पता लगाने के बाद, 2011 के CM No.22449 होने के नाते प्रतिस्थापन के लिए आवेदन 08.11.2012 पर दायर किया गया था, जो भी लंबित रहा। दिनांक 13.01.2012 के विवादित आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया है और अपील को समाप्त होने के रूप में खारिज करते हुए दिनांकित 09.07.2007 के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित मूल आदेश दिनांक 09.07.2007 ने मुख्य अपील को समाप्त होने के रूप में खारिज कर दिया और बाद का आदेश दिनांक 13.01.2012 ने समीक्षा आवेदन को खारिज कर दिया और दिनांकित 09.07.2007 के आदेश को वापस लेने से इनकार करना वर्तमान अपीलों का विषय है।

बी.

सी.

डी.

3. श्री संजय पोद्दार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, अपीलार्थी -डी. डी. ए. की ओर से पेश हुए हैं और श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतियोगी प्रत्यर्थी संख्या की ओर से पेश हुए हैं।33 और प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुनील गुप्ता उपस्थित हुए हैं। 3 से 40 तक।

ई.

4. अपीलार्थी -डी. डी. ए. की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पोद्दार ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत विद्वान है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से कुछ प्रत्यर्थियों के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने में विफलता के आधार पर अपील को पूरी तरह से खारिज कर

दिया है, इस सवाल में गए बिना कि क्या ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति आवश्यक थी और यह भी तय किए बिना कि आवेदन 2011 का सीएम No.22449 है (मूल वादी-श्री दीवान चंद आनंद के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए)।

एफ.

जी.

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में वादी, जो आवश्यक पक्ष हैं, के प्रतिस्थापन न करने के आधार पर अपील खारिज नहीं की गई है।यह तर्क दिया जाता है कि समग्र रूप से अपील को ऐसे प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधि को प्रतिस्थापित करने में विफलता पर समाप्त नहीं माना जा सकता है जिन्होंने लिखित बयान भी दायर नहीं किया था और यहां तक कि ए भी बने रहे।

एच.

1061

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

एक तरफा, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 (4) के प्रावधानों को देखते हुए (संक्षेप में 'सी. पी. सी.')।

4.2 यह भी आग्रह किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने मुख्य मुद्दे की जांच किए बिना अति तकनीकी आधार पर अपील को खारिज कर दिया है, कि क्या ऐसे उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों की अनुपस्थिति में अपील की सुनवाई की जा सकती है या नहीं।

बी.

4.3 यह भी प्रस्तुत विद्वान जाता है कि एस. एल. पी. की सुनवाई के दौरान भी, प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने तर्क दिया है कि दो वादी अन्य सह-मालिकों/प्रतिवादियों की ओर से मुकदमा दायर कर रहे थे और वे अपनी ओर से मुकदमा चला रहे थे, हालांकि ये प्रतिवादी एकतरफा रहे और इस प्रकार विद्वत विचारण न्यायालय ने उनके पक्ष में डिक्री को सही ढंग से पारित विद्वान । ए. विश्वनाथ पिल्लियाई और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर अपीलार्थियों की ओर से रिलायंस को रखा गया था।

सी.

बनाम। भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष तहसीलदार संख्या **4** और अन्य**,**

(1991) 4 एस. सी. सी. 17 इस निवेदन के समर्थन में कि एक सह-मालिक अन्य सह-मालिकों के लिए और उनकी ओर से कानूनी उपायों को पसंद कर सकता है और मुकदमा चला

सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि समान सादृश्य को लागू करते हुए, वही सह-मालिक अन्य सह-मालिक की पूरी संपत्ति की रक्षा और प्रतिनिधित्व भी कर सकता है।कि यदि मुकदमे में वादी द्वारा पूरी संपत्ति का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो माना जाता है कि उन्होंने अपील में उसी का प्रतिनिधित्व किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जिन प्रतिवादियों/प्रतिवादियों की मृत्यु हो गई, उन्होंने लिखित बयान दायर नहीं किया और वे एकतरफा रहे और इसलिए वे अपील के निर्णय के लिए आवश्यक पक्ष नहीं थे।रिलायंस को निर्णय पर रखा गया है

डी.

ई.

माता प्रसाद माथुर बनाम जवाला प्रसाद माथुर**, (2013) 14** एस**.** सी**.** सी**. 722** और कन्हियालाल बनाम रामेश्वर**, (1983) 2** एस**.** सी**.** सी**. 260 (**पैरा **6)** के मामले में इस न्यायालय के।

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह एक अच्छी तरह से स्थापित कानून है कि क्या अपील समग्र रूप से सक्षम है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और कोई सीधा सूत्र लागू नहीं होता है क्योंकि प्रत्येक मामले की अपनी विशिष्टताएँ होती हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय इस महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण पहलू की जांच करने में विफल रहा है, जिस पर इस माननीय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा विचार और अभिनिर्धारित किया जाना आवश्यक था।

एफ.

जी.

सरदार अमरजीत सिंह कालरा बनाम प्रमोद गुप्ता, (2003) 3 एस. सी. सी. 272 (पैरा 26) के मामले में न्यायालय।

4.5 यह आग्रह किया जाता है कि उपरोक्त संविधान पीठ के फैसले में इस माननीय न्यायालय ने आगे कहा है कि आदेश 22 नियम 4 सी. पी. सी. के प्रावधानों को संरक्षण के उद्देश्य से उदारता से लागू करने की आवश्यकता है।

एच.

पक्षों के अधिकार और उन्हें नष्ट करने के लिए नहीं।यह तर्क दिया जाता है कि जब भूमि का अधिग्रहण करने की मांग की जाती है और तत्काल मामले के रूप में सार्वजनिक उद्देश्य के लिए होती है, तो न्याय का हित यह सुनिश्चित करता है कि अपील की सुनवाई गुण-दोष के आधार पर समयबद्ध तरीके से की जाए और इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है।4.6 अब जहाँ तक वर्तमान एस. एल. पी./अपीलों में जगदीश आनंद के एल. आर. को लागू न करने के कथित आधार पर वर्तमान एस. एल. पी./अपीलों के उपशमन के मुद्दे पर, जो मूल वादी सं.2 और प्रतिवादी नं।8, यह प्रस्तुत किया जाता है कि जगदीश आनंद मूल वादी नं.2 और प्रतिवादी नं। 8, 10 में से।कि अन्य कानूनी प्रतिनिधि पहले से ही रिकॉर्ड में हैं और इसलिए संपत्ति का प्रतिनिधित्व अन्य कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, वर्तमान अपील अन्य कानूनी प्रतिनिधियों की उपस्थिति में आगे बढ़ सकती है जो पहले से ही रिकॉर्ड में हैं क्योंकि वे सभी अपने पिता और माता की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

बी.

सी.

4.7 जहाँ तक प्रतिद्वंद्वी प्रत्यर्थियों की ओर से यह निवेदन विद्वान जाता है कि कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन न होने के कारण निर्णय/डिक्री की अंतिमता के मुद्दे पर और/या परस्पर विरोधी या असंगत फरमानों का संबंध हो सकता है, यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि इस प्रकार विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री एक शून्य है क्योंकि यह माननीय न्यायालय बिहार राज्य बनाम बिहार राज्य के मामले में अधिकार क्षेत्र के बिना है।

डी.

धरेंद्र कुमार, (1995) 4 एस. सी. सी. 229 ने अभिनिर्धारित किया है कि सिविल न्यायालय

भूमि अधिग्रहण कार्यवाही/अधिसूचनाओं के संबंध में दीवानी मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और सरकार को कब्जा करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा आदेश पारित नहीं कर सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि डिक्री एक शून्य होने के कारण ऐसी डिक्री की वैधता पर जब भी और जहां भी उस पर भरोसा करने की मांग की जाती है, तब भी निष्पादन के चरण में और यहां तक कि कार्यवाही के संपार्श्विक चरण में भी सवाल उठाया जा सकता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि वाद भूमि की विषय वस्तु के रूप में अधिकार क्षेत्र का दोष, मामले की जड़ पर हमला करता है और इस तरह के दोष को पक्षों की सहमति से भी ठीक नहीं किया जा सकता है।

ई.

एफ.

4.8 अब जहाँ तक प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुत करने की बात है, कि पहली अपील में पारित मूल आदेश को चुनौती देने में भारी देरी हुई है, यह प्रस्तुत किया जाता है कि

अपीलार्थी समीक्षा आवेदन पर मुकदमा चला रहा था जो वर्ष 2008 में दायर किया गया था जो 13.01.2012 तक लंबित रहा।कि समीक्षा को प्राथमिकता देने में देरी को उच्च न्यायालय द्वारा माफ कर दिया गया था।इसलिए, अपीलार्थी समीक्षा याचिका के लंबित रहने के दौरान अवधि को हटाने की मांग करने का हकदार है और इसे वर्तमान ए में चुनौती दी गई है।

जी.

एच.

1063

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

आगे बढ़ रहे हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में उत्तरदाताओं का निवेदन अस्वीकार किए जाने योग्य है।ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि देखा और आयोजित किया गया है

ईशा भट्टाचार्जी बनाम के मामले में यह न्यायालय। रघुनाथपुर नफ़र अकादमी और अन्य की प्रबंध समिति, (2013)

12 एस**.** सी**.** सी**. 649** के साथ**-**साथ राधा के मामले में हाल के फैसले में

गजपति राजू और ओआरएस बनामपी**.** मदुरी गजपति राजू और अन्य। **2020** के एस**.** एल**.** पी**. (**सी**) No.3373-3374** से उत्पन्न सिविल अपील **No.6974-6975/2021** में कार्यवाही के लंबित रहने पर निर्णय लिया गया।

बी.

एक अन्य न्यायालय को देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त आधार कहा जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करना दिया जाए, जिसमें अपील को समग्र रूप से खारिज कर दिया गया था क्योंकि कुछ उत्तरदाताओं के कानूनी प्रतिनिधियों-मूल प्रतिवादियों को रिकॉर्ड में नहीं लाने के कारण यह कम हो गया था और गुण-दोष के आधार पर मुख्य अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाए।

सी.

डी.

5. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने, सबसे पहले, प्रस्तुत विद्वान है कि बिना किसी प्रशंसनीय औचित्य और स्पष्टीकरण के 2022 के मुख्य आदेश के खिलाफ सिविल अपील दायर करने में 1811 दिनों

की भारी देरी हुई है।वास्तव में, उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका पर भी 378 दिनों की सीमा द्वारा रोक लगा दी गई थी।

ई.

5.1 प्रतियोगी प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा आगे यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष विवाद की सराहना करने के लिए, कुछ तथ्यों पर विचार करने की आवश्यकता है जो निम्नानुसार हैंः

एफ.

“1. वादी 1 और 2, दीवान चंद आनंद और श्रीमती. चानन कान्ता आनंद, श्री के साथ। धरम चंद आनंद, एस. ज्ञान चंद आदि लाहौर, पाकिस्तान के प्रवासी थे।श्री के साथ उक्त वादी। धरम चंद आनंद और अन्य लोगों ने 1947-48 में और उसके आसपास, तहसील महरौली के गांव खरेरा में स्थित विवादित भूमि खरीदी, जिस पर खसरा नं.393, 394 & 395, एक श्री से सुपर स्ट्रक्चर के साथ 30 बीघा 6 बीघा भूमि को मापना। मोहम्मद इशाक।एस. धरम चंद आनंद ने आनंद ऑटोमोबाइल के नाम पर भूमि के उक्त टुकड़ों पर एक कारखाने का निर्माण करके ट्रकों पर शरीर निर्माण का अपना व्यवसाय फिर से शुरू किया और सेना को बस निकायों की आपूर्ति की।

जी.

एच.

2. चूंकि मोहम्मद इशाक पाकिस्तान चले गए थे, इसलिए इन संपत्तियों पर निकासी संपत्तियों के संरक्षक द्वारा दावा किया गया था।वादी और अन्य लोगों द्वारा निकासी संपत्ति के रूप में उसी को अधिसूचित करने के लिए प्रतिनिधित्व किया गया था।उसी पर विधिवत विचार किया गया और 5 दिसंबर 1953 को, निकासी संपत्तियों के संरक्षक ने वादी और अन्य सह-हितधारकों के पक्ष में सुपर-स्ट्रक्चर के साथ उक्त भूमि की बिक्री की पुष्टि की।बिक्री प्रमाणपत्र शिकायत के साथ दाखिल किया गया था।उक्त भूमि "लाल डोरा" के भीतर स्थित है।

बी.

3. तत्पश्चात, वर्ष 1962 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा श्री के साथ उक्त वादियों के पक्ष में 30 बीघा 6 बीघा भूमि के संबंध में दो परिवहन विलेखों का निष्पादन किया गया। धरम चंद आनंद, एस. ज्ञान चंद और अन्य सह-शेयरधारक।उन्होंने कहा कि विलेखों में न तो छह व्यक्तियों के

हिस्से का उल्लेख किया गया है और न ही उनके बीच भूमि के किसी भी हिस्से का आवंटन या सीमांकन किया गया है।

सी.

4. वर्ष 1964 में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 के तहत उपरोक्त भूमि सहित भूमि के टुकड़ों की संख्या के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी।

डी.

5. 1 मई, 1964 को सह-भागीदारों ने अधिसूचना के खिलाफ आपत्तियां दायर कीं और लगभग 5 वर्षों तक कुछ भी नहीं सुना गया।19 सितंबर, 1966 को उक्त संपत्ति के सह-शेयरधारकों में से एक ने भारत सरकार को प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ अभ्यावेदन दिया।

ई.

6. 23 दिसंबर, 1966 को केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल को खसरा एन. ओ. एस. में शामिल भूमि को जारी करने के लिए लिखा। 393, 394 और 395, दिनांक 21 मार्च, 1964 की अधिसूचना द्वारा कवर किए गए।रिलीज नीतिः7 जनवरी, 1967 को केंद्र सरकार ने एक नीतिगत निर्णय लिया कि जो भूमि अलग-थलग थी और निर्मित क्षेत्रों के बीच स्थित थी और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक नहीं थी, उन्हें अधिग्रहण से मुक्त किया जाना था।10 जनवरी, 1967 को केंद्र सरकार ने सह-मालिकों में से एक शिव राज बहादुर को लिखा कि दिल्ली प्रशासन को विवादित भूमि को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है।8. इसके बाद, 6 फरवरी, 1967 को दिल्ली के उपराज्यपाल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर निर्देश सुनिश्चित करने के लिए भूमि को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक मसौदे की पुष्टि की।

एफ.

जी.

9. 10 अक्टूबर 1967 को फिर से एक सह-हिस्सेदार ने भूमि जारी करने का अनुरोध करते हुए एक और अभ्यावेदन दिया।

एच.

1065

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

10. 9 फरवरी 1968 को, भारत सरकार ने दिल्ली प्रशासन को लिखा कि दिनांकित पत्र में निर्णय है और भूमि के पार्सल को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया है, जो एसएलपी का

विषय हैं। 11.हालाँकि, 16 जनवरी, 1969 को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत उपरोक्त भूमि के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी।

बी.

12. छह व्यक्तियों में से दो, जिनके पक्ष में हस्तांतरण के कार्यों को निष्पादित किया गया था, अर्थात् दीवान चंद आनंद और चानन कांता आनंद ने वर्ष 1974 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी की गई अधिसूचना वापस ले ली गई है और या रद्द/माफ कर दी गई है और यह कि धारा 6 अधिसूचना दुर्भावनापूर्ण, अमान्य, कानून में निष्क्रिय है और अधिकार क्षेत्र और अधिग्रहण के बिना और या उससे अधिक है।अन्य बातों के साथ-साथ वाद में वादियों की याचिका यह थी कि केंद्र सरकार ने भूमि के कुछ मालिकों, जिन्हें प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था, से संपर्क करने पर तत्कालीन दिल्ली प्रशासन को एक पत्र के माध्यम से कहा था कि उक्त उद्देश्य के लिए विषय भूमि की आवश्यकता नहीं थी और इस प्रकार धारा 6 के तहत अधिसूचना खराब थी और बिना किसी विवेक के लागू की गई थी।

सी.

डी.

ई.

13. यह मुकदमा 2 वादियों यानी 2 सह-स्वामियों द्वारा दायर किया गया था।हालांकि, शेष 4 व्यक्तियों में से, जिनके पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित किए गए थे, 3 की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और तदनुसार उक्त मुकदमे में, धरम चंद आनंद, सह-मालिक और शेष 3 सह-मालिकों के कानूनी उत्तराधिकारी को भूमि अधिग्रहण प्राधिकरणों और डीडीए के अलावा उचित पक्षकारों के रूप में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।

एफ.

5.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि भूमि के अन्य मालिकों ने प्रतिवादी के रूप में मुकदमा नहीं लड़ा, क्योंकि मुकदमा आपसी हित में था।एक प्रारंभिक मुद्दा, अर्थात्, क्या अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाओं को लागू करने वाला एक दीवानी मुकदमा बनाए रखने योग्य है, वादी के खिलाफ निर्णय लिया गया था।हालांकि, अंततः, मुकदमे को निर्णय और डिक्री दिनांक 1 के माध्यम से घोषित किया गया था, जिसके द्वारा घोषणा की एक डिक्री पारित की गई थी जिसमें कहा गया था कि अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत अधिसूचनाएं मुकदमा दायर करने से पहले ही अस्तित्व में नहीं थीं और मुकदमा भूमि अधिसूचनाओं के दायरे और दायरे से मुक्त हो गई थी।विद्वत विचारण न्यायालय ने अधिकारी को रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश भी पारित विद्वान

जी.

वादियों और अन्य सह-भागीदारों को वाद संपत्ति से बेदखल करने से प्रतिवादी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद अकेले डी. डी. ए. द्वारा दायर एक अपील में, कुछ उत्तरदाताओं के कानूनी प्रतिनिधियों (एल. आर.) को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कई अवसर दिए गए थे।लेकिन डी. डी. ए. मरने वाले कई उत्तरदाताओं के एल. आर. को रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा।यह प्रस्तुत किया जाता है कि, एक समय पर, मुकदमा गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया गया था जिसे बाद में बहाल कर दिया गया था।पाँच उत्तरदाताओं में से कई यानी भूमि के मूल खरीदारों और उनके उत्तराधिकारियों की मृत्यु हो गई।यहां तक कि वादी-मूल वादी नं।1 – प्रत्यर्थी की मृत्यु 16.11.2010 पर हुई।हालांकि एल. आर. के प्रतिस्थापन के लिए अवसर दिए गए थे। उन्हें प्रतिस्थापित नहीं किया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने दिनांक 09.07.2007 के अंतिम आदेश के माध्यम से अपील को निरस्त कर दिया।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मूल वादी सं।1 – ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश में प्रत्यर्थी की मृत्यु और कई अन्य निजी उत्तरदाताओं की मृत्यु का विवरण नहीं दिया है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि हालाँकि, यह विवाद में नहीं है कि अपील के लंबित रहने के दौरान बड़ी संख्या में निजी उत्तरदाताओं की मृत्यु हो गई और डी. डी. ए. को तीस से अधिक अवसर दिए जाने के बावजूद एल. आर. को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया। 3. 3 अब जहाँ तक गुण-दोष पर मुख्य मुद्दा है, चाहे कुछ प्रत्यर्थियों के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन पर-भूमि के मालिकों और/या पहली अपील के लंबित रहने के दौरान कुछ प्रत्यर्थियों की मृत्यु पर और उसमें अपीलार्थी बार-बार अवसरों के बावजूद एल. आर. को रिकॉर्ड पर नहीं लाता है, चाहे पूरी अपील कम हो गई हो या केवल विशेष रूप से मृत उत्तरदाताओं के लिए, यह विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रतिस्पर्धी उत्तरदाताओं के लिए जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान जाता है कि उन उत्तरदाताओं के लिए परस्पर विरोधी फरमान होंगे जो पहले से ही सेवा में हैं और जिनके एल. आर. रिकॉर्ड पर लाए गए हैं और मृत उत्तरदाताओं के लिए जिनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि 12.01.2000 दिनांकित डिक्री सभी मृत उत्तरदाताओं के कानूनी प्रतिनिधियों के पक्ष में होगी और यदि अपील उच्च न्यायालय में सफल होती है, तो परस्पर विरोधी फरमान होंगे क्योंकि संपत्ति संयुक्त रूप से स्वामित्व में है और डिक्री अविभाज्य या अविभाज्य है क्योंकि संपत्ति अविभाजित रहती है और प्रत्येक पक्ष को पूरी संपत्ति में अधिकार, स्वामित्व और हित होता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

5.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में छह मालिकों के पक्ष में पूरी भूमि के संबंध में उनके संबंधित शेयरों का सीमांकन किए बिना हस्तांतरण के दो विलेख थे।इस प्रकार, कानून में छह मालिकों में से प्रत्येक ए

एच.

1067

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

या उनके उत्तराधिकारी पूरी भूमि के मालिक थे, जिनके पास दूसरों के साथ भूमि के हर हिस्से और हिस्से पर अधिकार, स्वामित्व और ब्याज था और यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त मालिक सूट भूमि के किसी भी हिस्से के अनन्य मालिक थे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि K.Vishwanathan पिल्लई के मामले में

बनाम भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष तहसीलदार **No.IV, (1991) 4**

एस. सी. सी. 17, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सह-मालिकों में से एक मुकदमा दायर कर सकता है और अजनबी के खिलाफ संपत्ति की वसूली कर सकता है और डिक्री सभी सह-मालिकों के लाभ के लिए सुनिश्चित करेगी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी सह-मालिक का संपत्ति की किसी भी वस्तु या हिस्से में अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं है, लेकिन संयुक्त संपत्ति के हर हिस्से में उसका अधिकार, स्वामित्व और हित है।5.5 यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि वर्तमान मामले में विद्वत विचारण न्यायालय ने निर्णय और डिक्री के माध्यम से आदेश दिया था कि सबसे पहले, मुकदमा दायर करने से पहले ही अधिसूचनाओं का अस्तित्व समाप्त हो गया था और इसलिए, मुकदमा भूमि उक्त अधिसूचनाओं के दायरे से मुक्त हो गई थी।दूसरा, वादी और निजी उत्तरदाताओं (सह-भागीदारों) के पक्ष में और भूमि अधिग्रहण अधिकारियों के साथ-साथ डी. डी. ए. के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा दी गई थी, जहां डी. डी. ए. को उन्हें बेदखल करने से रोक दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले के उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, मृतक उत्तरदाताओं के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, मुकदमा संपत्ति के संबंध में डिक्री उक्त व्यक्तियों के लिए अंतिम हो जाएगी।लेकिन उसी मुकदमे की संपत्ति के संबंध में वर्तमान कार्यवाहियों को जारी रखने की अनुमति है क्योंकि अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ,

कार्यवाहियों की संभावित सफलता के परिणामस्वरूप डिक्री के प्रवर्तन से उन फरमानों का टकराव होगा जिनकी कानून में अनुमति नहीं है।मृतक उत्तरदाताओं के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा की राहत जारी रहेगी, जबकि यह उत्तरदाताओं के खिलाफ लागू नहीं होगी।इसके परिणामस्वरूप दो परस्पर विरोधी फरमान भी पारित होंगे जो लागू करने में असमर्थ होंगे।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

5.6 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान "संयुक्त और अविभाज्य डिक्री"/"संयुक्त और अविभाज्य या अविभाज्य डिक्री" का मामला है।इसलिए जब एक या अधिक मृत उत्तरदाताओं के एल. आर. को समय पर रिकॉर्ड पर लाने में चूक या चूक या विफलता होती है, तो यह घातक होगा और अपील को पूरी तरह से खारिज करने की आवश्यकता होगी और इसके परिणामस्वरूप पूरी कार्यवाही में कमी आएगी।अन्यथा, असंगत या विरोधाभासी फरमानों का परिणाम दूसरों की तुलना में एक ही विषय वस्तु के संबंध में होगा।उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने पूरी अपील को समाप्त होने के रूप में सही ढंग से खारिज कर दिया है और इस न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

जी.

एच.

6. उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णयों पर भरोसा करना

इस न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम नाथू राम, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 89; हेमरेड्डी बनाम रामचंद्र, (2019) 6 एस. सी. सी. 756; सुनकारा लेकमिनारसामा बनाम सागी, (2019) 11 एस. सी. सी. 787 और इस न्यायालय के हाल के निर्णय वेनिगल्ला कोटेश्वरमन बनाम मालेम्पति के मामले में।

सूर्यम्बा, (2021) 4 एस. सी. सी. 246, से वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।7. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

बी.

8. शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि दिनांक 1 के आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा यहां दी गई पहली अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि कुछ मूल प्रतिवादियों के संबंध में-अपील में प्रतिवादी जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था।इस प्रकार, अभिलेख पर अपील के लंबित रहने के दौरान मरने वाले कुछ उत्तरदाताओं के कानूनी प्रतिनिधियों को न लाने पर, उच्च न्यायालय ने अपील को समग्र रूप से समाप्त होने के रूप में खारिज कर दिया।उक्त आदेश दिनांक 09.07.2007 निम्नानुसार हैः

सी.

डी.

"आर. एफ. ए. No.280/2001

अपील के लंबित रहने के दौरान कई उत्तरदाताओं की मृत्यु हो गई है लेकिन अपीलार्थी द्वारा अपने कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।तदनुसार यह अपील समाप्त हो जाती है।" 8.1 इसके बाद अपीलार्थी ने वर्ष 2008 में समीक्षा आवेदन को प्राथमिकता दी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.01.2012 के विवादित आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि समीक्षा आवेदन को प्राथमिकता देने में देरी हुई थी जिसे उच्च न्यायालय द्वारा माफ कर दिया गया था।कि बाद में अपीलार्थी -डी. डी. ए.-मूल अपीलार्थी ने वर्तमान दो अपीलों को प्राथमिकता दी, एक, दिनांकित मूल आदेश को चुनौती देते हुए अपील को समग्र रूप से खारिज करते हुए और दूसरा, समीक्षा आवेदन को खारिज करने वाले आदेश को चुनौती देते हुए।प्रतिद्वंद्वी उत्तरदाताओं की ओर से या उनकी ओर से यह तर्क दिया जाना चाहिए कि दिनांकित आदेश को चुनौती देने वाली अपील को प्राथमिकता देने में भारी देरी हो रही है और इसलिए वर्तमान अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, अपीलार्थी ईमानदारी से समीक्षा आवेदन पर मुकदमा चला रहा था।कि समीक्षा आवेदन को खारिज करने के बाद जिसमें अपीलार्थी ने दिनांकित 09.07.2007 आदेश की समीक्षा करने और उसे वापस लेने की प्रार्थना की थी, कि अपीलार्थी ने दो अलग-अलग अपीलों को प्राथमिकता दी है, एक, समीक्षा आवेदन को खारिज करने को चुनौती देना और दूसरी, ए को चुनौती देना।

ई.

एफ.

जी.

एच.

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मूल आदेश दिनांकित 09.07.2007।इसलिए, एक बार जब अपीलार्थी समीक्षा आवेदन पर ईमानदारी से मुकदमा चला रहा था, तो समीक्षा आवेदन के परिणाम की प्रतीक्षा करना उचित था।यदि, समीक्षा आवेदन के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, अपीलार्थी उस स्तर पर अपील को प्राथमिकता देता, तो अपीलार्थी समीक्षा आवेदन के लंबित होने के आधार पर गैर-उपयुक्त होता और अपीलार्थी को समीक्षा आवेदन के परिणाम तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाता। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में समीक्षा आवेदन पर मुकदमा चलाने में लगने वाले समय को बाहर रखा जाना चाहिए और दिनांकित 09.07.2007 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।इसलिए, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं की ओर से योग्यता के आधार पर दिनांकित 09.07.2007 के आदेश को चुनौती देने वाली मूल अपील पर विचार नहीं करने की आपत्ति को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है और हम योग्यता के आधार पर अपील को समग्र रूप से खारिज करने वाले दिनांकित 09.07.2007 के आदेश पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

बी.

सी.

8.2 इससे पहले कि हम गुण-दोष पर दिनांकित आदेश पर विचार करें, प्रासंगिक अभिवचनों और वाद में आवश्यक अभिकथनों को संदर्भित किया जाना आवश्यक है जिनका वर्तमान अपील में विवाद पर सीधा असर होगा।यह ध्यान देने योग्य है और यह विवाद में नहीं है कि मुकदमा केवल दो सह-मालिकों द्वारा दायर किया गया था और बाकी सह-मालिकों/सह-भागीदारों को उचित पक्षों के रूप में प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया था।मूल वादियों के अनुसार, विचाराधीन भूमि का स्वामित्व मूल वादियों और अन्य सह-हितधारकों के पास संयुक्त रूप से था, जिसे वाद में निम्नलिखित कथनों से निकाला जा सकता हैः

डी.

ई.

“4. कि 5 दिसंबर, 1953 के आदेश द्वारा, निकासी संपत्तियों के संरक्षक ने वादी और अन्य सह-हितधारकों के पक्ष में उक्त भूमि के संबंध में इस शर्त पर बिक्री की पुष्टि की कि वे 5 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करेंगे। 65, 399.00 निकासी संपत्तियों के संरक्षक को।यह राशि रु. 65, 339.00 का भुगतान वादी और अन्य सह-भागीदारों द्वारा अभिरक्षक को किया गया था।

एफ.

5. 26 अप्रैल, 1962 को निकासी संपत्तियों के संरक्षक ने वादी और अन्य सह-हितधारकों के पक्ष में उक्त भूमि के संबंध में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किए।बिक्री प्रमाणपत्र की एक प्रति इसके साथ अनुलग्नक "बी" के रूप में संलग्न है।

जी.

7. कि खरीद के बाद, वादी और अन्य सह-हिस्सेदार खसरा संख्या 395 वाली भूमि पर रहने लगे और कुछ सह-हिस्सेदारों ने इस भूमि में 1963 से 1963 तक कई सुधार और निर्माण किए।

एच.

खसरा ने कहा कि खसरा और कुछ सह-शेयरधारकों ने उक्त भूमि में ऑटोमोबाइल और सहायक भागों के निर्माण और यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों के लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री भी स्थापित की।

11. 1 मई, 1964 को इस संपत्ति के सह-शेयरधारकों ने उक्त अधिसूचना के खिलाफ आपत्तियां दायर कीं और उसके बाद लगभग 5 वर्षों तक उक्त आपत्तियों के लिए कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की गई और किसी भी सह-शेयरधारक को किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।12. 19 सितंबर, 1966 को श्रीमती शिव राज बहादुर, जो इस संपत्ति की सह-भागीदारों में से एक हैं, ने निर्माण और आवास मंत्रालय के माननीय मंत्री श्री मेहर चंद खन्ना के माध्यम से भारत सरकार को प्रस्तावित अधिग्रहण के खिलाफ एक अभ्यावेदन दिया।प्रस्तुत अभ्यावेदन की एक प्रति, अनुलग्नक "सी" के रूप में संलग्न है।

बी.

सी.

44. केंद्र सरकार के दो विशिष्ट निर्देशों और उक्त संपत्ति को अधिसूचित करने के निर्णयों के बावजूद स्थानीय प्रशासन द्वारा उक्त संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए वादी और अन्य सह-हितधारकों को अज्ञात कारणों से परेशान किया गया है।

डी.

(45) यह कि जिन सह-भागीदारों की मृत्यु हो गई थी, उनके कानूनी प्रतिनिधि सुनवाई के हकदार थे और हालांकि यह भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के ध्यान में लाया गया था कि मृतक

मालिकों के कानूनी प्रतिनिधि थे, लेकिन उन्हें सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया था, और उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था, इसलिए पूरी कार्यवाही दूषित है।

ई.

47. वह प्रतिवादी एन. ओ. एस. 8 से 39 तक विवादग्रस्त भूमि में सह-हिस्सेदार हैं और उन्हें मुकदमे के उचित पक्षकारों के रूप में शामिल किया गया है 8.3 कि वादी पूरे मुकदमे की भूमि के सह-मालिक/सह-हिस्सेदार होने के नाते निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हैंः

एफ.

“(क) यह घोषित किया जाता है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा एसए के तहत अपनाई गई पूरी कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण, अवैध और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की मूल भावना का अपूर्ण उल्लंघन है।भूमि अधिग्रहण अधिनियम और प्राकृतिक न्याय, निष्पक्षता, समानता और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के विपरीत है।

जी.

(ख) यह घोषित किया जाता है कि अधिसूचना सं। एफ. 19 (93-ए)/63-एल एंड एच (ii) दिनांक 21 मार्च, 1964 को ए की धारा 4 के तहत जारी किया गया।

एच.

1071

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम आपके अपने आचरण द्वारा वापस लिया जाता है और/या रद्द कर दिया जाता है और माफ कर दिया जाता है।

(ग) यह घोषित किया जाए कि अधिसूचना सं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के तहत 16 जनवरी, 1969 को जारी किया गया एफ. 19 (93-ए)/63-एल एंड एच दुर्भावनापूर्ण, अवैध, अमान्य, अधिकार से परे, कानून में निष्क्रिय और अधिकार क्षेत्र के बिना और/या अधिकार क्षेत्र से अधिक है।

बी.

(घ) वादी और अन्य सह-हितधारकों को खसरा सं. वाली संपत्ति और भूमि से बेदखल नहीं करने के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ एक स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाए। गाँव खरेरा के 395,394 और 708/393।

सी.

(ई) कार्यवाही प्रार्थना के संदर्भ में एक विज्ञापन अंतरिम एकतरफा निषेधाज्ञा।

(च) प्रतिवादियों के खिलाफ वादी को मुकदमे की लागत की अनुमति दी जाए।

डी.

(छ) प्रतिवादियों को वादी को आकस्मिक लागत का भुगतान करने का आदेश दिया जाए।

(ज) न्यायालय ऐसे अन्य और आगे के आदेश पारित कर सकता है जो मामले की परिस्थितियों में न्यायसंगत, उचित और आवश्यक हों।"

ई.

8.4 इस प्रकार, उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि मूल वादी-विचाराधीन पूरी भूमि के दो सह-मालिकों/सह-हितधारकों ने वादी और सह-मालिकों की पूरी भूमि के संबंध में संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी।यह कहा जा सकता है कि मूल वादी ने अपने लिए और साथ ही अन्य सह-मालिकों-सह-भागीदारों की ओर से उन सभी के संयुक्त स्वामित्व वाली पूरी भूमि के संबंध में मुकदमा दायर किया।इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि पूरी संपत्ति का प्रतिनिधित्व मूल वादियों के माध्यम से किया गया था जिसमें सह-भागीदारों/सह-मालिकों को भी उचित पक्षों के रूप में प्रतिवादियों के रूप में शामिल किया गया था।इसलिए, जब विद्वान विचारण न्यायालय ने निर्णय और डिक्री पारित की, तब भी उसने पूरी भूमि के संबंध में निर्णय और डिक्री पारित की और यहां तक कि वादी के साथ-साथ अन्य सह-हितधारकों के स्वामित्व और संरक्षण की रक्षा के लिए स्थायी निषेधाज्ञा भी प्रदान की।उपरोक्त तथ्यात्मक परिदृश्य के आलोक में उच्च न्यायालय द्वारा समग्र रूप से पहली अपील को खारिज करने के लिए दिनांक 09.07.2007 द्वारा पारित आदेश को कुछ मूल प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कदम नहीं उठाने पर समाप्त कर दिया गया था।

एफ.

जी.

एच.

अपील में उत्तरदाताओं का परीक्षण और/या तय किए गए कानूनी सिद्धांतों के आलोक में विचार किया जाना आवश्यक है।

9. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2007 द्वारा पारित विवादित आदेश पर विचार करते हुए, अपील को समाप्त होने के रूप में खारिज करते हुए, उपशमन पर कानून और आदेश 22 सी. पी. सी. पर चर्चा की आवश्यकता है।आदेश 22 सी. पी. सी. में हाल के फैसले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए गिर गया

बी.

वेनिगल्ला कोटेश्वरम्मन (ऊपर) का मामला जिसमें यह न्यायालय

नाथूराम (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णयों के साथ-साथ हेमरेड्डी (उपर्युक्त) के मामले में बाद के निर्णय सहित अन्य निर्णयों पर विस्तार से विचार किया गया। अनुच्छेद 42 से 44.8 में आदेश 22 सी. पी. सी. पर प्रासंगिक चर्चा नीचे दी गई हैः

सी.

“42. दीवानी मुकदमे में पक्षकारों की मृत्यु, विवाह और दिवालियापन से निपटने के लिए प्रक्रिया के नियम अनिवार्य रूप से संहिता के आदेश 22 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं।42.1.यद्यपि आदेश 22 के नियम 1 से नियम 10-ए के प्रावधान मुख्य रूप से एक मुकदमे की कार्यवाही का उल्लेख करते हैं, लेकिन नियम 11 के आधार पर, उक्त प्रावधान अपीलों पर भी लागू होते हैं और अपील के उद्देश्य से, "वादी", "प्रतिवादी" और "वाद" अभिव्यक्तियों को क्रमशः "अपीलार्थी", "प्रतिवादी" और "अपील" के रूप में पढ़ा जा सकता है।

डी.

42.2.संहिता के आदेश 22 के नियम 1 में घोषणा की गई है कि यदि मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से मुकदमा समाप्त नहीं होगा।जब अपील के उद्देश्य के लिए पढ़ा जाता है, तो इस प्रावधान का अर्थ है कि यदि मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है तो किसी अपीलार्थी या प्रत्यर्थी की मृत्यु अपील को कम नहीं करेगी। 42.3.संहिता के आदेश 22 का नियम 2 उस प्रक्रिया को निर्धारित करता है जिसमें कई वादियों या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित वादी (ओं) या अकेले जीवित प्रतिवादी (ओं) के खिलाफ रहता है।यही प्रक्रिया अपील में भी लागू होती है जहां कई अपीलार्थियों या उत्तरदाताओं में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित अपीलार्थी (गण) या अकेले जीवित प्रत्यर्थी (गण) के खिलाफ रहता है।प्रक्रिया यह है कि न्यायालय को उस प्रभाव की प्रविष्टि रिकॉर्ड में करने की आवश्यकता है और अपील जीवित अपीलार्थी (गण) के कहने पर या जीवित प्रत्यर्थी (गण) के खिलाफ, जैसा भी मामला हो, आगे बढ़ना है।42.4.तथापि, संहिता के आदेश 22 के नियम 11 सहपठित नियम 4 के आधार पर, कई ए में से एक की मृत्यु के मामले में

ई.

एफ.

जी.

एच.

1073

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

प्रत्यर्थियों, जहां जीवित प्रत्यर्थी या प्रत्यर्थियों के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार जीवित नहीं रहता है और उस मामले में भी जहां एकमात्र प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार जीवित रहता है, विचाराधीन प्रक्रिया यह है कि मृतक प्रत्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधियों को उसके स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाना है और यदि कानून द्वारा सीमित समय के भीतर इस तरह के प्रतिस्थापन के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, तो अपील मृत प्रत्यर्थी के खिलाफ समाप्त हो जाती है।

बी.

42.5.बेशक, देरी से दायर प्रतिस्थापन के लिए आवेदन से निपटने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन वर्तमान मामले में इसे विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रत्यर्थी 2 (जो 1988 के ए. एस. संख्या 1887 में प्रत्यर्थी 3 था) के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए कोई आवेदन उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया था।

सी.

42.6.नियम 4 के नियम 1,2, उप-नियम (1), (2) और (3) और आदेश 22 के नियम 11 में निहित प्रासंगिक प्रावधानों को उपयोगी रूप से निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

डी.

“1. पक्ष की मृत्यु से कोई कमी नहीं, अगर मुकदमा करने का अधिकार है

जीवित रहता है।—यदि मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है तो वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से मुकदमा समाप्त नहीं होगा।

2. प्रक्रिया जहाँ कई वादी या प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है।—कहाँ हैं**?**

ई.

एक से अधिक वादी या प्रतिवादी, और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, और जहां मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित वादी या वादी या केवल जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ रहता है, तो न्यायालय उस प्रभाव की प्रविष्टि रिकॉर्ड पर कराएगा, और मुकदमा जीवित वादी या वादी के कहने पर, या जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ आगे बढ़ेगा।***

एफ.

4. कई प्रतिवादियों में से एक या एकमात्र प्रतिवादी की मृत्यु के मामले में प्रक्रिया।**—(1)** जहाँ दो में से एक या

अधिक प्रतिवादियों की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार अकेले जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ नहीं रहता है, या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र जीवित प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है, न्यायालय, उस ओर से किए गए आवेदन पर, मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि को एक पक्ष बनाया जाएगा और मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगी।

जी.

एच.

(2) इस प्रकार बनाया गया कोई भी व्यक्ति मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में अपने चरित्र के लिए उपयुक्त कोई भी बचाव कर सकता है।

(3) जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर उपनियम (1) के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, वहां मृतक प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो जाएगा।

बी.

***

11. अपीलों पर आदेश का अनुप्रयोग।—आवेदन में

अपील के लिए इस आदेश के, जहां तक हो सके, "वादी" शब्द को एक अपीलार्थी , "प्रत्यर्थी " शब्द को एक प्रत्यर्थी और "वाद" शब्द को एक अपील के रूप में शामिल किया जाएगा।"

सी.

43. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आदेश 22 नियम 2 लागू हो सकता है, हमें यह जांचना होगा कि जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार बचा है या नहीं। ऐसा नहीं है कि प्रतिवादी 2 के लिए कोई कानूनी उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं था।यह भी ऐसा मामला नहीं है जहां मृतक प्रतिवादी 2 की संपत्ति शेष पक्षों को उत्तरजीविता या अन्यथा द्वारा

हस्तांतरित की गई हो।इसलिए, आदेश 22 नियम 2 सी. पी. सी. की प्रयोज्यता को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया है।

डी.

44. मान लीजिए, प्रत्यर्थी 2 के कानूनी प्रतिनिधियों के प्रतिस्थापन के लिए कदम नहीं उठाए गए थे, जो 1988 की ए. एस. संख्या 1887 में प्रत्यर्थी 3 थे।इसलिए, संहिता के आदेश 22 के नियम 4 का उप-नियम (3) सीधे अमल में आया और प्रतिवादी 16 से 18 द्वारा दायर उक्त अपील को प्रतिवादी 2 (उसमें प्रतिवादी 3) के खिलाफ समाप्त कर दिया गया।हम इस मोड़ पर लाभप्रद रूप से दोहरा सकते हैं कि वास्तव में, प्रतिवादी 4,13 और 14 (1989 का ए. एस. संख्या 1433) द्वारा दायर दूसरी अपील को उच्च न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी 2 के खिलाफ 25-4-2006 पर विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था। 44.1.एक बार जब यह पाया जाता है कि प्रतिवादी 16 से 18 द्वारा दायर अपील प्रतिवादी 2 (प्रतिवादी 3) के खिलाफ समाप्त हो गई है, तो सवाल यह उठता है कि क्या वह अपील जीवित उत्तरदाताओं यानी वादी और प्रतिवादी 1 और 3 (जो प्रतिवादी 1,2 और 4 थे) के खिलाफ आगे बढ़ सकती थी।इस प्रश्न से निपटने के लिए, हम उपयोगी रूप से प्रासंगिक सिद्धांतों का उल्लेख कर सकते हैं, जो कई उत्तरदाताओं के मामले में एक प्रत्यर्थी के खिलाफ अपील के उपशमन के प्रभाव से संबंधित हैं, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित और समझाया गया है।44.2.पंजाब राज्य बनाम नाथू राम [ए राज्य] मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रासंगिक सिद्धांतों को विस्तार से बताया और समझाया गया था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

1075

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

पंजाब बनाम नाथू राम, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 89]।उस मामले में, पंजाब सरकार ने दो भाइयों की कुछ भूमि का संयुक्त रूप से अधिग्रहण किया था।प्रस्तावित मुआवजे को स्वीकार करने से इनकार करने पर, उनके संयुक्त दावे को मध्यस्थता के लिए भेजा गया और उनके पक्ष में एक निर्णय पारित किया गया जिसे राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में चुनौती दी थी।अपील के लंबित रहने के दौरान, भाइयों में से एक की मृत्यु हो गई लेकिन उसके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए समय के भीतर कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था।द हाई

बी.

न्यायालय ने खारिज कर दिया [पूर्वी पंजाब प्रांत बनाम लाभु राम, 1954

एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 132] ने यह देखते हुए अपील की कि यह मृत भाई के खिलाफ समाप्त हो गया था और इसके परिणामस्वरूप, जीवित भाई के खिलाफ भी समाप्त हो गया था।उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश पर फिटनेस प्रमाण पत्र द्वारा अपील में इस न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया गया था।

सी.

44.3.अपील को खारिज करते हुए और उच्च न्यायालय के विचारों की पुष्टि करते हुए, नाथू राम मामले में इस न्यायालय ने [पंजाब राज्य बनाम नाथू राम, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 89] उपशमन के प्रभाव से संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट किया और समझाया कि संयुक्त और अविभाज्य डिक्री के मामले में, जीवित प्रत्यर्थी (गण) के खिलाफ अपील को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता है और मृत प्रत्यर्थी के खिलाफ इसके उपशमन के परिणामस्वरूप खारिज किया जाना चाहिए; मूल कारण यह है कि मृत प्रत्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी और कानूनी प्रतिनिधियों के बीच कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकती है जो कानूनी प्रतिनिधियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है।इस न्यायालय ने इंगित किया कि मृतक प्रत्यर्थी की अपील को समाप्त करके, अपीलार्थी और मृतक प्रत्यर्थी के बीच की डिक्री अंतिम हो जाती है और अपीलीय न्यायालय किसी भी तरह से उस डिक्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित नहीं कर सकता है।

डी.

ई.

एफ.

44.4.न्यायालय ने उस मामले में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः

(नाथू राम मामला [पंजाब राज्य बनाम नाथू राम, ए. आई. आर. 1962

एससी 89], एआईआर पीपी. 90-91, पैरा 4-6 और 8) “4. यह विवादित नहीं है कि आदेश 22 नियम 4, सिविल प्रक्रिया संहिता, जिसे इसके बाद संहिता कहा जाता है, को देखते हुए मृतक लाभु राम के खिलाफ अपील को समाप्त कर दिया गया, जब कानून द्वारा सीमित समय के भीतर उनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया था। संहिता अन्य प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपील को कम करने का प्रावधान नहीं करती है।अदालतों ने माना है कि

जी.

एच.

कुछ परिस्थितियों में, सह-प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपील भी मृत प्रत्यर्थी के खिलाफ अपील के उपशमन के परिणामस्वरूप समाप्त हो जाएगी।वे हमेशा किसी मामले की विशेष परिस्थितियों के परिणाम के संबंध में सहमत नहीं रहे हैं और परिणामस्वरूप, सिद्धांत के अनुप्रयोग में राय में भिन्नता रही है।इससे मामलों पर विचार करने का कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि जब आदेश 22 नियम 4 मृत प्रत्यर्थी के सह-प्रत्यर्थियों के खिलाफ अपीलों को कम करने का प्रावधान नहीं करता है तो उनके खिलाफ अपीलों को कम करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है।यह कहना कि उनके खिलाफ अपील कुछ परिस्थितियों में कम हो गई, सही बयान नहीं है।बेशक, उनके खिलाफ अपील कुछ परिस्थितियों में आगे नहीं बढ़ सकती है और इसलिए इसे खारिज करना पड़ता है।ऐसा परिणाम अपील में मांगी गई राहत की प्रकृति पर निर्भर करता है।5. संहिता के आदेश 1 नियम 9 के प्रावधानों से भी यही निष्कर्ष निकाला जाना है, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी मुकदमे को पक्षकारों के गलत या गैर-प्रतिवादी के कारण विफल नहीं किया जाएगा और न्यायालय, प्रत्येक मुकदमे में, विवाद में मामले से निपट सकती है जहां तक वास्तव में उसके समक्ष पक्षकारों के अधिकारों और हितों का संबंध है।अतः यह इस प्रकार है कि यदि न्यायालय अपीलार्थी और मृतक प्रत्यर्थी के अलावा अन्य प्रत्यर्थियों के अधिकारों और हितों के संबंध में विवादग्रस्त मामले से निपट सकता है, तो उसे अपील के साथ आगे बढ़ना होगा और उस पर निर्णय लेना होगा।यह केवल तब होता है जब

बी.

सी.

डी.

ई.

न्यायालय के लिए ऐसे मामलों से निपटना संभव नहीं है, कि उसे अपील के साथ आगे बढ़ने से इनकार करना होगा और इसलिए इसे खारिज करना होगा।

6. यह सवाल कि क्या न्यायालय ऐसे मामलों से निपट सकती है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और इसलिए उन परिस्थितियों के बारे में कोई विस्तृत बयान नहीं दिया जा सकता है जब यह संभव है या संभव नहीं है।हालाँकि, यह कहा जा सकता है कि

एफ.

आम तौर पर इस प्रश्न पर निर्णय लेने में न्यायालय के साथ विचार करने वाले विचार यह हैं कि क्या अपीलार्थियों और मृतक के अलावा अन्य प्रत्यर्थियों के बीच अपील को उचित रूप से गठित कहा जा सकता है या न्यायालय के समक्ष विवाद के निर्णय के लिए सभी आवश्यक पक्षकार होने के लिए कहा जा सकता है।इसे निर्धारित करने के लिए परीक्षण को विभिन्न रूपों में वर्णित किया गया है।न्यायालय एक अपील के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे (क) जब अपील की सफलता से न्यायालय एक ऐसे निर्णय पर आ सकता है जो क के बीच के निर्णय के विपरीत हो।

जी.

एच.

1077

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अपीलार्थी और मृतक प्रत्यर्थी और इसलिए जो अदालत को एक डिक्री पारित करने के लिए प्रेरित करेगा जो उस डिक्री के विपरीत होगी जो अपीलार्थी और मृतक प्रत्यर्थी के बीच एक ही विषय-वस्तु के संबंध में अंतिम हो गई थी; (बी) जब अपीलार्थी केवल उन उत्तरदाताओं के खिलाफ आवश्यक राहत के लिए कार्रवाई नहीं कर सकता था जो अभी भी अदालत के समक्ष हैं; और (सी) जब जीवित उत्तरदाताओं के खिलाफ डिक्री, यदि अपील सफल होती है, अप्रभावी होती है, अर्थात, इसे सफलतापूर्वक निष्पादित नहीं किया जा सकता था।

बी.

***

सी.

8. कठिनाई हमेशा तब उत्पन्न होती है जब एक संयुक्त डिक्री होती है।यहाँ फिर से, राय की सर्वसम्मति यह है कि यदि डिक्री संयुक्त और अविभाज्य है, तो अन्य प्रत्यर्थी ओं के खिलाफ अपील भी आगे नहीं बढ़ाई जाएगी और मृतक प्रत्यर्थी के खिलाफ अपील को कम करने के परिणामस्वरूप खारिज करना होगा।उन उत्तरदाताओं के पक्ष में संयुक्त फरमानों के मामले में अलग-अलग विचार मौजूद हैं जिनके अधिकार डिक्री के विषय-वस्तु में निर्दिष्ट हैं।एक दृष्टिकोण यह है कि ऐसे मामलों में, मृतक प्रत्यर्थी के खिलाफ अपील को कम करने का परिणाम यह होगा कि उसके विशिष्ट हित को प्रभावित करने वाली डिक्री अंतिम होगी और अन्य उत्तरदाताओं के खिलाफ डिक्री को अपीलीय न्यायालय द्वारा उपयुक्त रूप से निपटाया जा सकता है।हम इस दृष्टिकोण को सही नहीं मानते हैं।शेयर या मृतक प्रत्यर्थी के ब्याज का विनिर्देशन डिक्री की प्रकृति और संयुक्त डिक्री धारक की पूरी डिक्री को निष्पादित करने या दूसरे पक्ष के संयुक्त में हस्तक्षेप करने के प्रयास का विरोध करने की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है।

डी.

ई.

एफ.

उसके पक्ष में निर्णय लिया गया।अपील के उपशमन का अर्थ न केवल यह है कि अपीलार्थी और मृतक प्रत्यर्थी के बीच की डिक्री अंतिम हो गई है, बल्कि एक आवश्यक परिणाम के रूप में यह भी है कि अपीलीय न्यायालय किसी भी तरह से उस डिक्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित नहीं कर सकता है।इसका कारण साफ है।यह है कि मृतक प्रत्यर्थी के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, अपीलीय न्यायालय अपीलार्थी और कानूनी प्रतिनिधियों के बीच कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकता है जो कानूनी प्रतिनिधियों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है।

जी.

आदेश को।यह कोई मायने नहीं रखता कि न्यायालय जो संशोधन करेगा वह ऐसा है जिसमें अपवाद लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है।"

एच.

9.1 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को संदर्भित करने के बाद

वेन्निगल्ला कोटेश्वरम्मा बनाम मलम्पती सूर्यम्बा और अन्य **(2003) 3** एस**.** सी**.** सी**. 272** के मामले में नाथू राम **(**उपरोक्त**)** का अवलोकन किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा कि किसी मामले में उपशमन की प्रकृति और सीमा और उस पर लिया जाने वाला निर्णय प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा और इसलिए, किसी भी तरह से कोई विस्तृत बयान नहीं दिया जा सकता है और निर्णय अंततः इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि प्राप्त डिक्री एक संयुक्त डिक्री थी या एक अलग।यह आगे देखा गया है कि इस प्रश्न का परीक्षण केवल चुनौती के तहत डिक्री के प्रारूप या यह एक या उस तरीके से नहीं किया जा सकता है जिसमें इसे पारित करने वाले न्यायालय से पहले या उसके द्वारा निपटा गया था।इस प्रकार, जैसा कि न्यायालय ने देखा और अभिनिर्धारित कियाः

बी.

सी.

(i) वादी या प्रतिवादी की मृत्यु से मुकदमा समाप्त नहीं होगा यदि मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है;

(ii) यदि एक से अधिक वादी या प्रतिवादी हैं, और उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, और जहां मुकदमा करने का अधिकार केवल जीवित वादी या वादी या केवल जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ रहता है, तो न्यायालय उस प्रभाव की प्रविष्टि रिकॉर्ड में कराएगा, और मुकदमा जीवित वादी या वादी के कहने पर, या जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादियों के खिलाफ आगे बढ़ेगा (आदेश 22 नियम 2);

डी.

ई.

(iii) जहां दो या दो से अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार अकेले जीवित प्रतिवादी या प्रतिवादी के खिलाफ नहीं रहता है, या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र जीवित प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और मुकदमा करने का अधिकार बना रहता है, न्यायालय, उस ओर से किए गए आवेदन पर, मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि को पक्षकार बनाएगी और मुकदमे के साथ आगे बढ़ेगी।जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर आदेश 22 नियम 4 के उप-नियम 1 के तहत कोई आवेदन नहीं किया जाता है, वहां मृतक प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो जाएगा।

एफ.

जी.

((iv) आदेश 22 का प्रावधान अपील की कार्यवाही पर भी लागू होगा।

9.2 जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, यह विचार करते हुए कि क्या मुकदमा/अपील गैर-लाने के कारण समाप्त हो गई है

एच.

1079

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

वादियों/प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को या नहीं, न्यायालय को इस बात की जांच करनी होगी कि जीवित प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार जीवित है या नहीं।इसके बाद अपीलीय न्यायालय को इस प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या कुछ प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं लाने पर, अपील जीवित प्रतिवादियों के खिलाफ आगे बढ़ सकती थी। इसलिए, अपीलीय न्यायालय को कई उत्तरदाताओं के मामले में प्रत्येक उत्तरदाता के खिलाफ अपील के उपशमन के प्रभाव पर विचार करना होगा।

बी.

9.3 उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के लिए उपरोक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने यंत्रवत रूप से और कोई और जांच किए बिना, जिसे ऊपर देखे जाने के अनुसार संचालित करने की आवश्यकता थी, पूरी अपील को केवल यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि कुछ उत्तरदाताओं के कानूनी प्रतिनिधियों-मूल प्रतिवादियों, जिन्होंने न तो मुकदमे का विरोध किया और न ही लिखित बयान दायर किए, को रिकॉर्ड पर नहीं लाने के कारण कम हो गया है। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा गया है कि मूल वादी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित की जाने वाली पूरी भूमि के सभी सह-मालिकों/सह-भागीदारों के लिए और उनकी ओर से सह-मालिकों/सह-भागीदारों के रूप में मुकदमा दायर किया है।

सी.

डी.

9.4 जैसा कि इस न्यायालय द्वारा K.Vishwanathan पिल्लई (उपरोक्त) के मामले में देखा और अभिनिर्धारित किया गया है, सह-मालिक पूरी संपत्ति का उतना ही मालिक है जितना कि संपत्ति का एकमात्र मालिक।किसी भी सह-मालिक का किसी विशेष वस्तु या उसके किसी हिस्से में कोई निश्चित अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं होता है।दूसरी ओर, संयुक्त संपत्ति के हर हिस्से में उसका अधिकार, स्वामित्व और हित है।वह अन्य लोगों के साथ संयुक्त संपत्ति के कई हिस्सों का मालिक है और यह नहीं कहा जा सकता है कि वह संपत्ति में केवल एक आंशिक मालिक या आंशिक मालिक है।यह देखा गया है कि, इसलिए, एक सह-मालिक एक मुकदमा दायर कर सकता है और अजनबियों के खिलाफ संपत्ति की वसूली कर सकता है और डिक्री सभी सह-मालिकों को आश्वस्त करेगी।कानून का उपरोक्त सिद्धांत अपील में भी लागू होगा।इस प्रकार, तत्काल मामले में, जब मूल वादी-दो सह-मालिकों ने वादी के साथ-साथ प्रतिवादियों के संयुक्त स्वामित्व वाली पूरी वाद भूमि के संबंध में मुकदमा दायर किया। 9 से 39 तक और जब अपील में कुछ प्रतिवादियों/प्रतिवादियों की मृत्यु हो जाती है, तो यह कहा जा सकता है कि संपत्ति का प्रतिनिधित्व अन्य लोगों द्वारा किया जाता है-विशेष रूप से वादी के वादी/उत्तराधिकारी और यह नहीं कहा जा सकता है कि अपील में कुछ सह-भागीदारों-प्रतिवादियों-प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं लाने पर अपील समग्र रूप से समाप्त हो जाएगी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

9.5 दिनांक 1 का विवादित आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने न तो सी. पी. सी. के आदेश 22 नियम 1 से 11 तक के प्रासंगिक प्रावधानों पर विचार किया है और न ही ऐसी कोई जांच की है जो ऊपर बताए गए अनुसार की जानी चाहिए थी।

9.6 एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू जिस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया गया था, वह भी विचाराधीन भूमि के संबंध में।यह अपीलार्थी की ओर से विशिष्ट मामला था और यहां तक कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण कार्यवाही को चुनौती देने वाले मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में विद्वत ट्रायल कोर्ट द्वारा इस मुद्दे को तैयार विद्वान गया था। विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों से, यह प्रतीत होता है कि यद्यपि विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के पक्ष में अधिकारिता के मुद्दे को अभिनिर्धारित विद्वान , फिर भी उसके बाद उसने राहत प्रदान की और उस वाद का फैसला सुनाया जो उच्च न्यायालय के समक्ष विषय था।इस प्रकार, अपीलार्थी -डी. डी. ए.-के अनुसार विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री अमान्य थी और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थी।यदि ऐसा है, तो एक अन्य प्रश्न जिस पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है, वह यह है कि जब मूल वादी/कानूनी उत्तराधिकारी रिकॉर्ड में हैं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि पूरी अपील समाप्त हो गई है, यदि अपील में यह माना जाता है कि डिक्री एक शून्य और/या पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थी, तो डिक्री सभी उद्देश्यों के लिए शून्य होगी।उपरोक्त पहलू को भी निर्धारित करने की आवश्यकता है।

बी.

सी.

डी.

ई.

9.7 किसी भी मामले में अपील के लंबित रहने के दौरान मरने वाले कुछ उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं लाने के क्या परिणाम होते और क्या मूल वादी और/या जीवित उत्तरदाताओं/प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार बरकरार रहता है, इस पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना था, जिस पर उच्च न्यायालय तत्काल मामले में विचार करने में विफल रहा।

एफ.

10. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारण को ध्यान में रखते हुए ये दोनों अपीलें सफल होती हैं।अपील के लंबित रहने के दौरान मरने वाले कुछ उत्तरदाताओं/मूल प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को नहीं लाने के लिए समग्र रूप से अपील को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को एतद्द्वारा अपास्त करना कर दिया जाता है।उच्च न्यायालय को अब कानून के अनुसार और अपने गुण-दोषों के आधार पर और ऊपर की गई टिप्पणियों के आलोक में अपील पर विचार करने के लिए, विशेष रूप से, उच्च न्यायालय को इस बात पर विचार करना होगा और जांच करनी होगी कि क्या अपील में कुछ प्रत्यर्थियों (वाद में प्रतिवादी) की मृत्यु पर ए के खिलाफ मुकदमा करने का अधिकार है।

जी.

एच.

1081

दिल्ली विकास प्राधिकरण बनाम दीवान चंद आनंद और ओआरएस। [एम. आर. शाह, जे.]

शेष उत्तरदाता-मूल वादी/शेष मूल प्रतिवादी बच जाएंगे या इस तथ्य को शामिल नहीं करेंगे कि संपत्ति का प्रतिनिधित्व मूल वादी/मूल वादी/जीवित प्रतिवादियों के जीवित मूल वादी/उत्तराधिकारियों द्वारा किया जा रहा है जिसका जांच पर असर पड़ता है।इन टिप्पणियों के साथ वर्तमान अपीलों को उपरोक्त सीमा के अनुसार अनुमति दी जाती है।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

निधि जैन और अमरेंद्र कुमार

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः अजय, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.